संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आई&एटी/सीआईआर/विविध/194/11/2023
Ref.No: IRDAI/I&AT/CIR/MISC/194/11/2023 दिनांक / Date: 03-11-2023

परिपत्र
CIRCULAR

विषयः वित्तीय सूचना प्रयोक्ता के रूप में लेखा संग्राहक (एए) ढाँचे में सहभागिता
Sub: Participation in Account Aggregator (AA) Framework as Financial Information User

1. यह लेखा संग्राहक (एए) ढाँचे में बीमाकर्ताओं की सहभागिता पर आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/229/11/2022 दिनांक 14 नवंबर, 2022 एवं संदर्भ डीएनबीआर.पीडी.009/03.10.119/2026-17 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा संग्राहक (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 2 सितंबर, 2016 के संदर्भ में है।
This has reference to the IRDAI circular ref: IRDA/IID/CIR/MISC/229/11/2022 dated 14th Nov 2022 and Master Direction - Non-Banking Financial Company– Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016 dated 2nd September, 2016 issued by Reserve Bank of India (RBI) vide ref. DNBR.PD.009/03.10.119/2016-17 on participation of insurers in the Account Aggregator (AA) framework.

2. आरबीआई मास्टर निर्देश के पैरा 3(1) (xii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो वित्तीय सूचना प्रयोक्ता (एफआईयू) की परिभाषा निम्नानुसार देता हैः
Attention is drawn to the para 3(1) (xii) of the RBI Master Direction which defines Financial Information User (FIU) as under:

"वित्तीय सूचना प्रयोक्ता से किसी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत और उसके द्वारा विनियमित संस्था अभिप्रेत है।"
"Financial information user means an entity registered with and regulated by any financial sector regulator."

3. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि बीमा क्षेत्र के एफआईयू से प्रत्याशित है कि वे समय-समय पर अद्यतन किये गये रूप में रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा प्रकाशित तकनीकी विशिष्टियाँ (वित्तीय सूचना प्रकार की योजनाएँ) अपनाएँ।
In this regard, it is advised that FIUs from insurance sector are expected to adopt the technical specifications (Financial Information Type Schemas) published by Reserve Bank Information Technology Private Limited (ReBIT), as updated from time to time.

4. वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) द्वारा उपलब्ध कराई गई आरबीआई मास्टर निर्देश के पैरा 3(1) (ix) में यथापरिभाषित वित्तीय सूचना का उपयोग एफआईयू के द्वारा सहमति शिल्प-तथ्य (आर्टीफैक्ट) में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा अथवा प्रकट नहीं किया जाएगा।
The Financial Information, as defined in para 3(1) (ix) of the RBI Master Direction, provided by Financial Information Provider (FIP), shall not be used or disclosed by FIUs except as may be specified in the consent artefact.

5. बीमा क्षेत्र में विद्यमान एफआईयू अपनी वेबसाइटों पर उन लेखा संग्राहकों के नाम प्रमुख रूप से प्रकट करेंगे जिनके द्वारा उक्त सूचना प्राप्त की गई हो।
The FIUs in insurance sector must disclose prominently on their websites the names of the Account Aggregators through which the information is obtained.

6. बीमा क्षेत्र में विद्यमान एफआईयू ऐसी वित्तीय सूचना प्राप्त करेंगे और उसका उपयोग करेंगे जो उनके अपने विनियामक अनुदेशों में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो।
The FIUs in insurance sector shall obtain and use Financial Information that are required to perform functions specified in its respective regulatory instructions.

7. बीमा क्षेत्र में विद्यमान एफआईयू को एए संबंधी अनुप्रयोग बहुभाषी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वह प्रयोक्ता-अनुकूल हों।
The FIUs in the insurance sector are encouraged to make AA related applications multilingual to make it user friendly.

8. बीमा क्षेत्र मे विद्यमान एफआईयू ग्राहकों की शिकायतों के निवारण सहित, उनके लिए लागू आईआरडीएआई विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का भी पालन करेंगे।
The FIUs in the insurance sector shall also abide by the code of conduct as specified in the IRDAI regulations/guidelines/circulars applicable to them, including redressal of grievances of the customers.

9. यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि बीमा क्षेत्र में विद्यमान एफआईयू बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उनके अधीन बनाये गये विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों के अंतर्गत दिये गये सभी विनियामक उपबंधों का पालन करना जारी रखेंगे।
Needless to add that the FIUs in the insurance sector shall continue to comply with all the regulatory provisions under the Insurance Act 1938, IRDA Act 1999 and the regulations / guidelines / circulars framed there under.

हस्ताक्षरित / Sd/-
(राकेश जोशी / Rakesh Joshi)
सदस्य (वित्त & निवेश) / Member (F&I)